1. सनरेफ-इंडिया क्या है?

वर्ष 2008 में सृजित, सनरेफ (प्राकृतिक संसाधनों और ऊर्जा वित्त का सतत उपयोग) एएफडी का हरित वित्त लेबल (फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी) है।

सनरेफ इंडिया आवास कार्यक्रम का उद्देश्य देश में आवास उद्योग के कारण पर्यावरण पर होने वाले नकारात्मक प्रभावों को कम करना है जहाँ 70% आवासीय इकाईयाँ अब से लेकर 2030 तक बनाई जानी हैं।

एएफडी और यूरोपीय संघ (ईयू) द्वारा समर्थित, राष्ट्रीय आवास बैंक (रा.आ.बैंक) का उद्देश्य गृह क्रेताओं, सार्वजनिक या निजी आवास परियोजना डेवलपर्स या प्राथमिक ऋणदाता संस्थानों[1] के साथ पुनर्वित्त परिचालन के माध्यम से 12,000 निम्न और मध्यम आय वाले परिवारों को हरित एवं किफायती आवास तक पहुंच आसान बनाना है।

2. गृह क्रेताओं के लिये लाभ

- हरित आवास अंतिम उपयोगकर्ताओं हेतु ऊर्जा और पानी के लिए परिचालन लागत में बचत करने में सहायता करता है
- हरित भवन निर्माण कार्य रिहायशी संपत्ति के संवर्धित मूल्य को प्राप्त करने में भी मदद करता है
- यह डेवलपर्स के लिए निर्माण कार्य का निर्धारित समय कम करता है और गृह क्रेताओं के लिए आवास स्टॉक शीघ्र उपलब्ध कराता है

3. गृह क्रेताओं के लिए पात्रता मानदंड

- आवासीय परियोजनाएं जिन्होंने आईजीबीसी/जीआरआईएचए हरित आवास/हरित किफायती आवास रेटिंग प्रणाली के अंतर्गत स्वर्ण या प्लेटिनम या 4/5 स्टार रेटिंग पूर्व-प्रमाणन / प्रमाणन प्राप्त किया है
- भारत में किसी भी राज्य / केंद्र शासित प्रदेश में किसी भी शहरी क्षेत्र में स्थित आवासीय परियोजना
- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, निम्न आय वर्ग और मध्यम आय वर्ग को लक्षित करने वाली परियोजनाएँ ही पात्र[2] हैं
- अधिकतम 18 लाख रु. प्रति वर्ष तक की पारिवारिक आय पात्र है
- वैयक्तिक आवासीय परियोजनाएं (किसी व्यक्ति द्वारा अपनी जमीन पर बनाया गया आवास) पात्र नहीं हैं

संपर्क

राष्ट्रीय आवास बैंक
कोर 5 ए, भारत पर्यावास केंद्र
लोधी रोड, नई दिल्ली - 110 003
फोन : 011- 39187174 ई-मेल: subhash@nhb.org.in

[1] *प्राथमिक ऋणदाता संस्थानों में आवास वित्त कंपनियां, बैंक और अन्य वित्तीय संस्थान शामिल हैं।*

[2] *भारत सरकार की परिभाषा के अनुसार, 3 लाख रु., 6 लाख रु. और 18 लाख रु. तक की वार्षिक आय वाले व्यक्ति क्रमशः आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, निम्न आय वर्ग और मध्यम आय वर्ग की श्रेणियों के अंतर्गत आते हैं।*